आदेश कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

10 06/19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–08/2017–18
मो0 मुस्तफा
बनाम
गुलजहान वगै0
आदेश

यह नामन्तण अपील वाद आवेदन आवेदक मो0 मुस्तफा, पे0–स्व0 मनीरुद्दीन अंसारी, सा0–नयाबाजार, थाना–राजमहल, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तण वाद संख्या 387/2017–18 में दिनांक 11.05.2017 एवं 25.05.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 09.08.2017 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामन्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	तौजी न0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
तुरतीपुर	40	50	688	06–03–08 धूर

अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी अनुपस्थित। फलस्वरुप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भुमि मौजा तुरतीपुर, खाता संख्या 50 रकवा 06–03–08 धूर जमीन के संबंध में उत्तरवदी के द्वारा वर्ष 2017 में नामान्तरण वाद दायर किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता संक्षिप्त में कहना है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 387/2017–18 में दिनांक 11.05.2017 एवं 25.05.2017 को जो आदेश पारित हुआ है वह नियम के विरुद्ध है। उक्त नामान्तरण वाद में मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नही किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण अपील वाद संख्या 387/2017–18 दिनांक 11.05.2017 एवं 25.05.2017 को पारित आदेश को अपास्त (Set–a-side) करने का अनुरोध किये है।

आज उत्तरवादी अनुपस्थित।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन रैयती है। आवेदक ने स्वयं जमांबदी रैयत से केवाला संख्या 2167, दिनांक 08.06.1967 के द्वारा क्रय कर शांति पूर्वक दखल में है। प्रस्तावित जमीन भू–दान, भूहदबंदी, आमखास, वासीगत पर्चा, रेलवे बी0 क्लास एवं देव स्थल से मुक्त है। खतियान में दाग न0 688 श्रेणी वादी दोयम रैयत राणेश साह दीगर का नाम दर्ज है। अतः नामान्तरण की स्वीकृति दिया जा सकता है। जिसकी अनुशंसा अंचल निरीक्षक के द्वारा भी किया गया है।

साथ ही अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 2102/रा0 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी–प्प रैयत मजहर अली ने दो तरह का दस्तावेज तैयार किया है। पहला दस्तावेज रहन नामा एवं बिक्री केवाला रहन नामा संख्या 2167/दिनांक 08.06.1967 केवाला सं0–4027 दिनांक 20.07.

Scanned with CamScanner

[...]ल्क ने तैयार किया गया है। इसी भूखण्ड को केवाला के माध्यम से 05(पाँच) व्यक्तियों के नाम नामान्तरण किये है। प्रस्तावित भूमि का गहन छान–बीन करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर जिस व्यक्तियों के नाम नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उस भूखण्ड़ पर उनका दखल कब्जा नही है। फलस्वरुप हल्का कर्मचारी द्वारा गुलसन आरा वगैरह को दखल नही रहने के कारण उनके आधार पर नामान्तरण वाद संख्या 387/2017–18 को अस्वीकृत करने का अनुरोध एवं अनुशंसा किया गया है। जिस पर अंचल निरीक्षक का भी अनुशंसा है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण वाद संख्या 387/2017–18 दिनांक 11.05.2017 एवं दिनांक 25.05.2017 के पारित आदेश, उनके कार्यालय पत्रांक 2102/रा0 दिनांक 18.12.2017 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अपास्त (Set-a-side) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।